



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

सुरक्षित किया गया :18.08.2025

पारित किया गया : 26.11.2025

प्रथम अपील सं 266/2018

1 - हितेश भाई पटेल पिता श्री जी.बी.पटेल, 36 वर्ष, व्यवसाय ठेकेदार, निवासी ई-9, मालवीय नगर, दुर्ग,
छत्तीसगढ़ (वादी), जिला:दुर्ग, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

नंदकिशोर खंडेलवाल उर्फ नंदू व्यवसाय ठेकेदार, निवासी मकान नंबर 1, रोड नंबर 1, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी), जिला:दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री बी. पी. शर्मा, श्री विवेक चोपड़ा तथा श्री एम.एल.सकत, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री टी. के. झा तथा श्री तपन कुमार चंद्र, अधिवक्तागण

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास , न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह वादी की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत दायर की गई पहली अपील है, जिसमें माननीय 8 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग (सी.जी.) द्वारा सिविल वाद संख्या 189-बी/2007 में दिनांक 20.02.2018 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने 10,00,000/- रुपये के नुकसान के वाद को खारिज कर दिया है।
2. पक्षकारों का उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल वाद में वर्णित रूप में संदर्भित किया गया है।
3. वादपत्र के कथनों से परिलक्षित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-



3.ए) वादी ने मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए दीवानी वाद दायर किया कि उसके पिता 1965 से भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में जी.बी. पटेल फर्म के नाम से ठेकेदार थे। बीएसपी अधिकारियों और व्यावसायिक समुदाय में ठेके के काम को गुणवत्ता और लगन से पूरा करने के लिए उनकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा थी। वे सामाजिक सेवा में भी सक्रिय रुचि रखते थे और जहां भी आवश्यकता होती थी, व्यक्तिगत और आर्थिक रूप से योगदान देते थे। इसी प्रकार, उनके परिवार का गुजराती समुदाय के साथ-साथ शहर के सामाजिक और व्यावसायिक हलकों में भी उच्च स्थान था। वे एक शांतिप्रिय तथा दयालु व्यक्ति थे।

3.ख) यह कहा गया है कि वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में बीएसपी के संविदात्मक कार्यों में उनकी सहायता की और 1998 में उनके निधन के बाद, सभी लंबित संविदात्मक दायित्वों को सम्मानजनक ढंग से पूरा किया। पिता के निधन के बाद, संविदा फर्म उनकी माता के नाम पर स्थानांतरित हो गई, जो अपने नाम से बीएसपी के अनुबंधों को निष्पादित करना जारी रखती हैं, हालांकि वादी उनकी ओर से फर्म का प्रबंधन करते हैं। इस फर्म का वार्षिक कारोबार लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये है।

3. ग) वादी दुर्ग शहर की एक प्रमुख बस्ती मालवीय नगर में रहता है, जहाँ कई जाने-माने उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं। वादी और उसके परिवार के सदस्य इन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखते हैं।

3. घ) आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेकेदार भी है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण लंबे समय से वादी से ईर्ष्या रखता है और उसे नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए प्रतिवादी ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 3 अप्रैल 2003 को भट्टी-भिलाई पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज कराई, हालाँकि मामला दर्ज नहीं किया गया था। अगले दिन, 4 अप्रैल 2003 को, अभियुक्त ने अपने और अपने कर्मचारियों वीनस साइमा और धर्मेन्द्र यादव के खिलाफ दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें उन पर झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, जबर्न वसूली की मांग की है और निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। उक्त परिवाद के आधार पर आईपीसी की धारा 507 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मानहानिकारक शिकायत की प्रतियां कलेक्टर, महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप प्रधानमंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को भेजी गईं। इसकी एक प्रति बी. एस. पी प्रबंधन को भी भेजी गई थी। यह कहा गया है कि इन आरोपों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष वादी की छवि को धूमिल कर दिया, जिनके साथ वादी का अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रेस संबंधी कार्यों के कारण नियमित संपर्क था। बी. एस. पी अधिकारियों को प्रतियां भेजने से संयंत्र प्रतिष्ठान में उनकी प्रतिष्ठा को और भी नुकसान पहुंचा। आगे कहा गया है कि पुलिस जांच के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, अभियुक्त ने दुर्भाग्यपूर्ण और ईर्ष्या के कारण जानबूझकर 5 अप्रैल 2003 को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में झूठी और मानहानिकारक खबरें प्रकाशित कीं, जिसके परिणामस्वरूप वादी को समाज, व्यापार, उद्योग और सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपमानित होना पड़ा। ये प्रकाशन दुर्ग-भिलाई और छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख शहरों में व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जिससे उन्हें गंभीर



मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वे 10 अप्रैल 2003 को निर्धारित निविदा प्रक्रिया में ठीक से भाग नहीं ले सके, जिसके कारण 18,45,440 रुपये के ठेके का कार्य उन्हें नहीं दिया गया, जिससे उन्हें लगभग 2,00,000 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। अतः, वादी को बसपा, उसके सतर्कता विभाग, सीआईएसएफ और अन्य अधिकारियों की निगरानी में रखा गया था। उन्हें सामाजिक कलंक, संदेह और पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अत्यधिक अपमान का सामना करना पड़ा।

3.ड) आगे यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक माफी और ₹10,00,000/- के सांकेतिक हर्जाने की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन प्रतिवादी ने इसका पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उन्होंने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की, जो दुर्ग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। इसलिए, उन्होंने हर्जाने की मांग करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया और वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

3.च) प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल कर वाद में लगाए गए आरोपों का खंडन किया और स्वीकार किया कि वादी भिलाई स्टील प्लांट में एक ठेकेदार है। यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने वादी द्वारा दी गई धमकी के लिए उसके विरुद्ध परिवाद दर्ज कराई है। पुलिस ने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए उसने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दर्ज कराई है, जो अभी लंबित है। उसने वादी के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने से इनकार किया है और यह भी इनकार किया है कि उसने वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला कोई लेख प्रकाशित किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि वादी ने समाचार पत्र के संपादक, ग्राहक या स्वामी को प्रतिवादी नहीं बनाया है, इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि वाद क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए वाद खारिज किए जाने योग्य है।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के निवेदनों के आधार पर 7 विवाद्यक निर्धारित किया गया। विवाद्यक संख्या 2, 3, 4 और 6 प्रासंगिक हैं और इन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: --

2. क्या प्रतिवादी, वादी फर्म हितेश भाई फर्म व्यवसायिक स्पर्धा के कारण ईर्ष्या रखता है तथा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहता है?

3. क्या प्रतिवादी ने वादी को नुकसान पहुंचाने एवं उसकी छबि धूमिल करने की नियत से सोची समझी योजना के अधीन असत्य एवं मनगढ़ंत शिकायतें थाना-भिलाई भट्टी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की एवं दैनिक समाचार पत्र, दैनिक हरिभूमि एवं प्रखर समाचार पत्र में प्रकाशन कराया?

4. क्या वादी स्वच्छ राजनीति जान पहचान होते हुए प्रकाशन समाचार के बाद अन्य लोग उसे हेय दृष्टि से देखने लगे। भिलाई संयंत्र के अधिकारियों, सतर्कता विभाग, सी.आई.एस.एफ. द्वारा वादी पर निगाह रखने लगे?

6. क्या वादी, प्रतिवादी द्वारा लगाये गये लांछन, हुई बदनामी एवं अपमान के लिये 10,00,000/- रुपये बतौर क्षतिपूर्ति पाने का पात्र है?



5. वादी ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए स्वयं को पीडब्लू-1, सम्मुख पटेल को पीडब्लू2, शिजू एंथोनी को पीडब्लू-3, सुशीला दीक्षित को पीडब्लू-4, रेखाराम सिन्हा को पीडब्लू-5, कौशल किशोर सिंह को पीडब्लू-6, कांति भाई पटेल को पीडब्लू-7 और रमेश तिवारी को पीडब्लू-8 के रूप में पेश किया है और दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं, जिनमें दैनिक समाचार पत्र हरि भूमि और प्रखर समाचार की दिनांक 05/04/2003 की पेपर कटिंग (एक्स पी/ -01) और प्रतिवादी को उसके अधिवक्ता गिरधारी लाल यादव द्वारा दिनांक 22/04/2003 को भेजे गए नोटिस की कार्यालय प्रति (एक्स पी/ -02) शामिल हैं। डाक रसीद संख्या एक्स पी-03 और 04। पावती (एक्स पी/ -05), प्रतिवादी द्वारा 04/04/2003 को पुलिस अधीक्षक को भेजी गई लिखित शिकायत की प्रति (एक्स पी/ -06), 31/03/2002 तक के व्यवसाय का बैलेंस शीट (एक्स पी/ -7), अमेरिका राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का पहचान पत्र (एक्स पी/ -08), टेक्सास राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस (एक्स पी/ -09), भिलाई स्टील प्लांट से 11/06/2002 को दिए गए संविदा की मूल प्रति (एक्स पी/ -10), अन्य निविदा अधिनिर्णय की मूल प्रतियां (दिनांक 30/08/2002, 11/10/2002, 21/09/2002 और 23/11/2002) (क्रमशः एक्स पी/ -11, 12, 13 और 14), महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड से निरीक्षण संविदा के संबंध में 18/04/2003 को प्राप्त पत्र। एक्स.पी-15, भिलाई स्टील प्लांट से दिनांक 04/09/2001 को प्राप्त अधिनिर्णय एक्स.पी-16। भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20/03/2001, 19/03/2001, 21/03/2001 और 20/03/2001 को जारी किए गए पत्र (एक्स पी/ -17, 18, 19 और 20), आरटीआई अधिनियम के तहत भिलाई भट्टी पुलिस स्टेशन से प्राप्त जानकारी (एक्स पी/ -21), आरटीआई अधिनियम के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन की डाक रसीद (एक्स पी/ -22), डाक आदेश (एक्स पी/ -23), पावती पत्र (एक्स पी/ -24) और उप महाप्रबंधक और लोक सूचना अधिकारी बीएसपी के कार्यालय द्वारा 17/08/2016 को भेजी गई जानकारी (एक्स पी/ -25) और भारतीय प्रेस परिषद के महासचिव द्वारा वादी को दिनांक 18/08/2015 को भेजे गए पत्र की प्रति (एक्स पी/ -26)। प्रतिवादी ने स्वयं को डी डब्लू 1 के रूप में और अनुरागिनी को डी डब्लू 2 के रूप में पेश किया है। उन्होंने कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें महाप्रबंधक वाणिज्यिक कार्यालय, कमरा संख्या 204, दूसरी मंजिल, इस्पात भवन, भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त दस्तावेज (प्रदर्श संख्या डी-1), लोक सूचना अधिकारी, आरटीओ, दुर्ग से प्राप्त दस्तावेज (प्रदर्श संख्या डी-2), आरटीआई के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग के कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज (प्रदर्श संख्या डी-3) और आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श संख्या डी-4) शामिल हैं।

6. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए वाद को खारिज कर दिया, जिसे इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री को चुनौती दी और यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों का उचित मूल्यांकन किए बिना विवाद्यक संख्या 2 और 3 का निर्णय करके अवैधता किया है। यह तर्क दिया गया है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत



हैं, साक्ष्यों के विपरीत हैं, और इसलिए इन्हें अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि विचारण न्यायालय ने स्वयं स्पष्ट रूप से यह पाया है कि एफआईआर और समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री समान है, और प्रतिवादी के कहने पर प्रकाशित सामग्री ने वादी की छवि को धूमिल किया है, फिर भी उसने मुकदमे को गलत तरीके से खारिज कर दिया है। आगे यह भी कहा गया है कि वादी द्वारा सिद्ध मानहानि के कारण हर्जाना मांगने के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं, इसलिए विचारण न्यायालय को वाद का निर्णय वादी के पक्ष में करना चाहिए था। वह यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपकृत्य विधि से संबंधित मामलों में, विशेषकर मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मानहानि के वाद में, न्यायालय दोषी के विरुद्ध हर्जाना देने के लिए पूर्णतः अधिकृत है। वादी द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को स्पष्ट रूप से धूमिल करने वाले मुद्रित प्रकाशन को प्रस्तुत करने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने में त्रुटि की है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने कंडिका 16 में यह निष्कर्ष दर्ज करने में गलती की है कि वादी अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि दीवानी कार्यवाही में, तथ्यों को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक है, न कि उचित संदेह से परे सबूत के आधार पर जैसा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में आवश्यक है। उन्होंने निवेदन किया कि वादी ने अपने क्षतिपूर्ति के दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार करने और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को रद्द करने का अनुरोध किया है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और न्यायालय सीपीसी के आदेश 11 नियम 23 और आदेश 11 नियम 23 ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मामले को वापस भेज सकता है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के श्रीमती रामधरा और अन्य बनाम श्रीमती फुलवंतीबाई (1969 एमपी 474) के निर्णय का उल्लेख करते हैं तथा महमूद नैयर आजम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2012) 8 एससीसी 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 30 और 34 का उल्लेख करते हैं, जो इस प्रकार है: --

10. श्रीमती किरण बेदी बनाम जांच समिति और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने डी. एफ. मैरियन बनाम डेविस के निर्णय से एक टिप्पणी को दोहराया: --

"निजी प्रतिष्ठा का आनंद लेने का अधिकार, जो दुर्भावनापूर्ण निंदा से अप्रभावित हो, प्राचीन काल से चला आ रहा है और मानव समाज के लिए आवश्यक है।" अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और संविधान द्वारा इसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के उपभोग के अधिकार के समान ही संरक्षित किया गया है।"

34. हाल ही में विश्वनाथ पुत्र सीताराम अग्रवाल बनाम सौ. सरला विश्वनाथ अग्रवाल के मामले में, यद्यपि एक अलग संदर्भ में, प्रतिष्ठा के पहलू से निपटते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है: --

"प्रतिष्ठा न केवल जीवन का नमक है, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र खजाना और सबसे अनमोल सुगंध भी है।

यह अत्यंत नाजुक और मृत्यु के बाद भी अनमोल है। यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आय का स्रोत है।"



9. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री का समर्थन करते हुए कहा कि उसमें दर्ज निष्कर्ष रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्रियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने अभिवचनों, मौखिक कथन और दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है और यह सही माना है कि वादी मानहानि के मुकदमे के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने उचित ढंग से यह पाया है कि वादी प्रतिवादी द्वारा जनता की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से किए गए किसी भी जानबूझकर कृत्य को साबित नहीं कर सका, और न ही कोई कानूनी क्षति प्रदर्शित हुई। कथित प्रकाशन, भले ही उसे अक्षरशः सच मान लिया जाए, क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करता है। यह तर्क दिया जाता है कि विवाद्यक संख्या 2 और 3 पर दिए गए निष्कर्ष न तो विकृत हैं और न ही साक्ष्यों के विपरीत हैं; ऐसा कोई भी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी ने पेशेवर ईर्ष्या के कारण दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष झूठी और जाली परिवाद दर्ज कराई है। अधिकारी और सतर्कता विभाग वादी के कामकाज का अच्छी तरह से आकलन कर सकते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी के किसी कृत्य से वादी की प्रतिष्ठा को कोई क्षति पहुंची है। वादी ने भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही समाचार पत्र के संपादक या स्वामी से यह साबित करने के लिए पूछताछ की है कि समाचार उनके कहने पर प्रकाशित किया गया था। अतः, विचारण न्यायालय ने को उचित ढंग से खारिज कर दिया है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता अपील को खारिज करने और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने की प्रार्थना करते हैं।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

11. पक्षकारों के अभिवचनों और अभिलेखों में रखे गए दस्तावेजों के आधार पर, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला बिंदु यह है: --

“क्या विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करते हुए दर्ज किए गए निष्कर्ष कानूनी और न्यायसंगत हैं और क्या इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है; और क्या संबंधित प्रिंट मीडिया के संपादक या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति की जांच न करना वादी के मामले के लिए घातक है?”

12. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विवाद्यक को समझने के लिए, न्यायालय के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन करना उचित होगा।

13. वादी के मुख्य साक्षी पी.डब्ल्यू.-01 ने अपने मुख्य बयान में वादपत्र में किए गए कथनों को दोहराया है। प्रतिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता के नाम पर स्थानांतरित की गई फर्म को रेल एवं संरचना उप महाप्रबंधक और एसएआईएल प्रबंधन द्वारा पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसने प्रतिपरीक्षा के कंडिका 39 में यह भी स्वीकार किया कि उसने समाचार पत्र के संपादक से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दी गई।



उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने समाचार पत्र के संपादक को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने समाचार पत्र के संपादक को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

14. सम्मुख पटेल (पी डब्लू-02) को वादी के समर्थन में निचली अदालत के समक्ष पेश किया गया और जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने समाचार के प्रकाशन के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की है। सुशीला दीक्षित (पी डब्लू-03) ने जिरह में स्वीकार किया कि वादी का व्यवसाय आज तक सुचारु रूप से चल रहा है। रेखराम सिन्हा (पी डब्लू-05) ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने समाचार के प्रकाशन के संबंध में समाचार पत्र के संपादक से कोई पूछताछ नहीं की है और यह भी स्वीकार किया कि उक्त प्रकाशन को पढ़ने के बाद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। एक अन्य साक्षी, कौशल कुमार सिंह (पी डब्लू-06) ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने किसी भी समाचार पत्र के संपादक या स्वामी से यह सत्यापित नहीं किया है कि क्या प्रतिवादी ने समाचार प्रकाशित किया है। रमेश तिवारी (पी डब्लू-07) ने जिरह के दौरान यह भी स्वीकार किया कि प्रकाशन पढ़ने के बाद उन्होंने संपादक या प्रकाशक से यह पूछताछ नहीं की कि समाचार किसने लिखा या प्रकाशित करवाया। इसी प्रकार, कांतिबाई पटेल (पी डब्लू-08) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया कि समाचार प्रकाशित करने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाशन में नहीं दिया गया था।

15. वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देखने से स्पष्ट है कि उसकी ओर से पेश किए गए किसी भी साक्षी ने यह बयान नहीं दिया है कि समाचार प्रकाशित करने के लिए कौन जिम्मेदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी ने बिना किसी ठोस सबूत के, केवल अपनी आशंका के आधार पर ही वाद दायर किया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने अपने मुख्य बयान के कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने किसी भी समाचार पत्र में वादी के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया और न ही उसका उसे अपमानित करने का कोई आशय था। उसने आगे कहा कि वादी ने ही उसके विरुद्ध झूठे आधार पर परिवाद दर्ज कराई गयी है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन करने के बाद कंडिका 14 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादी समाचार लेख के किसी संपादक, प्रकाशक, संवाददाता या ग्राहक से पूछताछ करने में विफल रहा है, जिससे यह साबित हो सके कि इसका प्रकाशन प्रतिवादी के कहने पर या उसकी सहमति से किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की है कि प्रतिवादी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत परिवाद और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की विषयवस्तु समान प्रतीत होती है, इसलिए संबंधित समाचार पत्र के स्वामी, संवाददाता या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की पूछताछ के अभाव में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रकाशन का कार्य केवल प्रतिवादी के कारण हुआ है। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया।

17. विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि समाचार प्रतिष्ठान के मालिक, संवाददाता या किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी की जांच न करना घातक है और यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है प्रतिवादी द्वारा समाचार प्रकाशित करना और वादी की मानहानि करना कानून के अनुसार उचित है, क्योंकि जब तक समाचार पत्र



प्रतिष्ठान से किसी गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश करके यह साबित नहीं किया जाता कि विवादित समाचार प्रतिवादी के कहने पर प्रकाशित किया गया था, तब तक मात्र समाचार प्रकाशन के आधार पर, बिना किसी और प्रमाण के, किसी व्यक्ति पर इसे प्रकाशित करवाने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है। यह विधि की सर्वमान्य स्थिति है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट स्वयं उसकी सामग्री का कोई प्रमाण नहीं होती। रिपोर्टें केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य होती हैं। इन्हें या तो उस रिपोर्टर को पेश करके साबित किया जाना चाहिए जिसने उक्त बयान सुना और उसे रिपोर्टिंग के लिए भेजा, या ऐसे रिपोर्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पेश करके और उक्त रिपोर्ट को साबित करने के लिए समाचार पत्र के संपादक या उसके प्रकाशक को पेश करके। यह भी कानून की सर्वमान्य स्थिति है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट अधिकतम द्वितीयक साक्ष्य है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत इसकी विषयवस्तु के प्रमाण के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समाचार पत्र की रिपोर्ट कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है जिसे शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सके। वादी ने रिपोर्ट की विषयवस्तु को सिद्ध करने के लिए उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी के विरुद्ध मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घनश्याम उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020)

16 एससीसी 811 में इस बात की जांच की है कि विधि रिपोर्ट को न्यायालय में कैसे सिद्ध किया जाना चाहिए और इसका साक्ष्य मूल्य क्या है, और कंडिका 6, 7 और 8 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-----

6. जैसा कि उल्लेख किया गया है, विविध याचिका में निहित आरोपों को लगाने का पूरा आधार याचिकाकर्ता द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है। समाचार पत्र में दिए गए बयान की सत्यता या असत्यता की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हमारे विचार में, केवल कुछ समाचार पत्र की रिपोर्टों के आधार पर ऐसे तर्कों को स्वीकार करते समय इस न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में बार-बार यह कहा है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के समाचार पत्र की खबर का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होता है। इसके बाद, इस सिद्धांत को कई जनहित याचिकाओं में ध्यान में रखते हुए, अखबार की रिपोर्ट द्वारा समर्थित याचिका में निहित आरोपों को खारिज कर दिया गया है। 7. कुसुम लता बनाम भारत संघ, (2006) 6 एससीसी 180 के निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें यह टिप्पणी की गई है: (एससीसी पृष्ठ 186, कंडिका 17) "

17. ... यह भी देखा गया है कि याचिकाएँ समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हैं, उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में देखा है, समाचार पत्रों की रिपोर्ट साक्ष्य नहीं मानी जाती हैं। अपुष्ट समाचार रिपोर्टों पर आधारित याचिका, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना, सामान्यतः स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी याचिकाएँ याचिका में दिए गए कथनों और सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि करने का कोई आधार प्रदान नहीं करती हैं।"



8. इस न्यायालय ने रोहित पांडे बनाम भारत संघ, (2005)13 एससीसी 702 में, विधिक बिरादरी के एक सदस्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता पर कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि उक्त याचिका बिना किसी और सत्यापन के केवल दो समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित थी।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैकब पुलियेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 533 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :

"70. यह स्थापित विधि है कि न्यायालय समाचार पत्र में प्रकाशित किसी समाचार में वर्णित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकते हैं। समाचार पत्र में दिया गया तथ्य मात्र सुनी-सुनाई बात है और इसलिए, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि बयान देने वाला व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर यह साबित न कर दे कि उसने रिपोर्ट किए गए तथ्य को देखा था।" 48 श्री जयप्रकाश मुलियिल, 48 लक्ष्मी राज शेटी बनाम तमिलनाडु राज्य (1988) 3 एससीसी 319 83 | एनटीएजीआई के सदस्य द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि करने के लिए वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर कुछ भी मौजूद न होने के कारण, हम द वायर में प्रकाशित समाचार लेख का न्यायिक संज्ञान लेने के इच्छुक नहीं हैं, खासकर भारत संघ की ओर से दायर हलफनामे के आलोक में जिसमें कहा गया है कि टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने से पहले सभी चरणों में विशेषज्ञ निकायों द्वारा संबंधित डेटा की जांच की गई थी। हमारा यह भी मानना है कि रोटवैक वैक्सिन की अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित साक्ष्य का इस मामले में विवाद से कोई संबंध नहीं है। उक्त दो घटनाओं के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एसईसी द्वारा अनुशंसित कोवीशील्ड और कोवैक्सिन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है...

19. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि समाचार पत्र की कटिंग बहुत ही कमजोर साक्ष्य है और यह तथ्य कि वादी यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि समाचार पत्र प्रतिष्ठान को यह खबर किसने दी और यह पेशेवर ईर्ष्या से कैसे संबंधित है, इसलिए निचली अदालत द्वारा विवाद्यक संख्या 2 और 3 पर वादी के विरुद्ध निर्णय लेना कानूनी, न्यायसंगत है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मामले को आदेश XLI नियम 23 सीपीसी या 23-ए सीपीसी के अनुसार निचली अदालत को वापस भेजने का निवेदन अब इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि चूंकि वादी संपादक या संवाददाता से रिपोर्ट को साबित करने के लिए पूछताछ नहीं कर सका, इसलिए उसे अपना पक्ष साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह निवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि निचली अदालत के अभिलेखों को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया है और वादी ने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए 8 साक्षियों से भी परीक्षा भी की है, जबकि उसने रिपोर्ट की सामग्री को साबित करने के लिए समाचार पत्र के रिपोर्टर, संवाददाता या संपादक से पूछताछ नहीं की है, जिसका कारण वादी ही भली-भांति ज्ञात है। यह वादी की ओर से एक चूक है और यह कानून की स्थापित स्थिति है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश □□□ नियम 23 या 23A के तहत पुनर्विचार का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसी कोई परिस्थिति न हो या



पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अचानक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त न कर दिया गया हो, लेकिन जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की प्रार्थना अस्वीकृत की जानी चाहिए क्योंकि यह चूक को भरने के समान होगा जो सीपीसी के आदेश XLI नियम 23 और 23A का उद्देश्य नहीं है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवकुमार और अन्य बनाम शरणबसप्पा और अन्य {(2021) 11 एससीसी 277} के मामले में कंडिका संख्या 26 में निम्नलिखित निर्णय दिया है: --

26. दूसरे बिंदु पर विचार करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को आदेश XLI नियम 23A सी.पी.सी. में निहित प्रावधान का सहारा लेकर मामले को वापस भेजना चाहिए था, जो हमारी राय में पूरी तरह से निराधार है; इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए नोट किया गया है।

26.1. मूल निर्णयों के विरुद्ध अपीलों (जिन्हें सामान्यतः 'नियमित प्रथम अपील' कहा जाता है) से संबंधित प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI में दी गई है और उसमें, अपील की सुनवाई, मामले को पुनः भेजने, मुद्दों को परीक्षण के लिए वापस भेजने, अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने आदि से संबंधित विभिन्न प्रावधान 'सुनवाई की प्रक्रिया' उपशीर्षक के अंतर्गत नियम 16 से 29 में निहित हैं। इनकी सुसंगता के लिए, हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 23, 23A, 24 और 25 में निहित प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:- "23. अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का प्रत्यर्पण। जहां किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई हो और उसने प्रारंभिक बिंदु पर ही मुकदमे का निपटारा कर दिया हो तथा अपील में निर्णय उलट दिया गया हो, तो अपीलीय न्यायालय, यदि उचित समझे, तो आदेश द्वारा मामले को वापस भेज सकता है, और आगे यह निर्देश दे सकता है कि वापस भेजे गए मामले में किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, और अपने निर्णय और आदेश की एक प्रति उस न्यायालय को भेजेगा जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, साथ ही यह निर्देश भी देगा कि मुकदमे को दीवानी मुकदमों के रजिस्टर में उसके मूल क्रमांक के तहत पुनः दर्ज किया जाए और मुकदमे का निपटारा किया जाए; और मूल सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया साक्ष्य (यदि कोई हो), सभी उचित अपवादों के अधीन रहते हुए, वापस भेजे गए मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य माना जाएगा।

23 ए. अन्य मामलों में रिमांड। जहाँ न्यायालय, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, ने मामले का निपटारा प्रारंभिक बिंदु के अलावा किसी अन्य आधार पर किया हो, और अपील में निर्णय उलट दिया गया हो तथा पुनर्विचार आवश्यक समझा जाए, तो अपीलीय न्यायालय को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उसे नियम 23 के अंतर्गत प्राप्त हैं।

24. जहाँ अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य हों, अपीलीय न्यायालय मामले का अंतिम निर्णय कर सकता है। जहाँ अभिलेख में मौजूद साक्ष्य अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वहाँ अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो, मुद्दों को पुनः निर्धारित करने के बाद, मुकदमे का अंतिम निर्णय कर सकता है, भले ही जिस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, उसका निर्णय पूरी तरह से उस आधार से भिन्न किसी अन्य आधार पर आधारित हो जिस पर अपीलीय न्यायालय कार्यवाही कर रहा है।



25. जहां अपीलीय न्यायालय विवाद्यक निर्धारित कर सकता है और उन्हें उस न्यायालय को सुनवाई के लिए भेज सकता है जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है। जहां अपील करने वाले न्यायालय ने किसी ऐसे विवाद्यक को निर्धारित करने या उस पर विचार करने में चूक की हो, या किसी ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न का निर्धारण करने में चूक की हो, जो अपीलीय न्यायालय को मुकदमे के गुण-दोष के आधार पर सही निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, तो अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो, तो मुद्दों को निर्धारित कर सकता है और उन्हें उस न्यायालय को विचार के लिए भेज सकता है जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, और ऐसे मामले में उस न्यायालय को आवश्यक अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देगा; और वह न्यायालय उन मुद्दों पर विचार करेगा और अपने निष्कर्षों और कारणों सहित साक्ष्य को अपीलीय न्यायालय को उस समय सीमा के भीतर लौटा देगा जो अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है या समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।"

26.3. आदेश XLI के नियम 23 और 23A में निहित पुनर्विचार हेतु प्रावधानों की योजना को समझना 8 के बिना अधूरा है। आदेश XLI के नियम 23 और 23A में दिए गए पुनर्विचार हेतु अधिकार, अपीलीय न्यायालय के नियम 25 के अंतर्गत किसी मुद्दे पर निर्णय हेतु पुनर्विचार के लिए भेजे जाने के अधिकार से भिन्न हैं। विचार भेजने का अधिकार सामान्यतः तब प्रयोग किया जाता है जब निचली अदालत किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने या किसी तथ्यात्मक प्रश्न का निर्धारण करने में चूक कर देती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां निचली अदालत ने मुकदमे का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करते समय एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों/प्रश्नों का निर्धारण करने में विफल रही हो, तो उचित प्रक्रिया यह है कि नियम 25 के तहत उन मुद्दों/प्रश्नों को वापस भेज दिया जाए, न कि पूरे मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। सामान्यतः, आदेश XLI के नियम 25 के तहत किसी आदेश के मामले में, मामला अपीलीय न्यायालय की फाइल में रखा जाता है और केवल मुद्दे/प्रश्न ही निष्कर्ष के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजे जाते हैं। दूसरी ओर, जब नियम 23 या नियम 23 ए के तहत पुनर्विचार का आदेश दिया जाता है, तो पूरा मामला ट्रायल कोर्ट में निर्णय के लिए वापस चला जाता है, सिवाय उस बिंदु के जिस पर अपीलीय न्यायालय ने कोई निष्कर्ष निकाला हो। नियम 23 या नियम 23 ए के तहत पुनर्विचार के लिए मामला भेजते समय, निचली अदालत के फैसले और डिक्री को रद्द करना आवश्यक है, लेकिन आदेश XLI के नियम 25 का सहारा लेते समय विवादित फैसले और डिक्री को रद्द करना आवश्यक नहीं है। आदेश XLI के नियम 24 में निहित प्रावधान के अनुसार, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो अपीलीय न्यायालय पुनर्विचार के लिए मामला भेजे बिना ही अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है; भले ही अपीलीय न्यायालय उस आधार से पूरी तरह भिन्न आधार पर कार्यवाही कर रहा हो जिस पर विचारण न्यायालय ने कार्यवाही की थी।

26.4. आदेश XLI के नियम 23, 23A और 24 को एक साथ पढ़ने से पुनर्विचार के लिए भेजे जाने वाले अधिकार का दायरा और सीमा स्पष्ट हो जाती है। जब उपलब्ध साक्ष्य मामले के निपटारे के लिए पर्याप्त हों, तो अपीलीय न्यायालय के लिए उचित तरीका आदेश XLI सीपीसी के नियम 24 के निर्देश का पालन करना और मुकदमे का अंतिम निर्णय करना है। केवल ऐसे मामलों में जहां अपील में चुनौती दी गई डिक्री उलट दी जाती है और पुनर्विचार आवश्यक समझा जाता है, अपीलीय न्यायालय मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का मार्ग अपनाएगा। यह



सर्वविदित है कि पुनर्विचार के आदेश सामान्य रूप से पारित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि अनुचित पुनर्विचार आदेश न्याय के उद्देश्य की पूर्ति किए बिना वाद की अवधि को ही बढ़ाता है।केवल इस आधार पर पुनर्विचार का आदेश देना कि निचली अदालत ने साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित बिंदुओं पर विचार नहीं किया है, किसी विशेष मामले में उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय स्वयं तथ्यों की जांच करने और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्राधिकार रखता है।वास्तव में, कई ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो पुनर्विचार के आदेश को उचित ठहरा सकती हैं या जहाँ किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो सकता है।

26.5.यह बात बार-बार दोहराई जानी चाहिए कि पुनर्विचार के लिए मामला तभी वापस भेजा जाएगा जब निचली अदालत के तथ्यात्मक निष्कर्ष पलट दिए जाएं और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनर्विचार आवश्यक समझा जाए।

26.6.यह मामला स्पष्ट रूप से ऐसा था जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी इच्छानुसार सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे; और वादी-अपीलकर्ताओं का यह दावा नहीं था कि उन्हें कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया या किसी अन्य कारण से मुकदमे की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण रही।जैसा कि उल्लेख किया गया है, विचाराधीन वसीयत के संबंध में कई संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं, जिनमें से कुछ को विचारण न्यायालय ने ध्यान में रखा था, लेकिन निराधार कारणों से उन्हें नजरअंदाज कर दिया था।उच्च न्यायालय ने उन्हीं साक्ष्यों और उन्हीं परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच की है और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा है जो तर्कसंगत और उचित प्रतीत होता है तथा किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है।उच्च न्यायालय के पास मामले को विचारण न्यायालय में वापस भेजने का कोई कारण या अवसर नहीं था।इस संबंध में प्रस्तुत तर्क को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है, और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिराजुद्दीन बनाम ज़ीनत और अन्य {(2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 196)} मामले में अकंडिका संख्या 29 निम्नानुसार है: --29. आक्षेपित निर्णय की प्रमुख विशेषताओं और उसमें हुई महत्वपूर्ण चूकों पर ध्यान देने के बाद, यदि हम अपीलीय न्यायालय को पुनर्विचार का आदेश देने के लिए सशक्त बनाने वाले प्रावधानों का संदर्भ लें, तो वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए कोई औचित्य खोजना मुश्किल है।जैसा कि देखा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 23 के तहत पुनर्विचार के दायरे में अत्यंत सीमित प्रावधान है और यह प्रावधान लागू नहीं होता क्योंकि विचाराधीन मुकदमे का निपटारा प्रारंभिक बिंदु पर नहीं हुआ था।वर्तमान मामले में पुनर्विचार केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 23-A से संबंधित हो सकता है और इसकी प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें ये हैं कि "अपील में निर्णय को उलट दिया गया हो और पुनर्विचार आवश्यक समझा गया हो"।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आक्षेपित निर्णय में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने किस आधार पर और क्यों निर्णय को पलटा दिया गया था। स्पष्ट रूप से, निर्णय पलटने के लिए ठोस कारण होने चाहिए और इसके लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए कारणों पर विचार करना और उन पर विचार करना अनिवार्य है।अतः, इस मामले में पुनर्विचार याचिका को आदेश XLI सीपीसी के नियम 23-ए के अनुसार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।



22. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए पहली अपील खारिज की जानी चाहिए और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

23. तदनुसार एक आज्ञा तैयार की जाए।

सही/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का



अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

